न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :-38/2016/टोंक (2016/00027)

1. कैलाशी पुत्री कल्याण,
2. रसाली पुत्री कल्याण,
3. रतनी पुत्री कल्याण,
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम रजवास, तह0 निवाई, जिला टोंक ।

अपीलांट्स

बनाम

1. किशन पुत्र औंकार,
2. जगन्नाथ पुत्र औंकार,
3. लक्ष्मी नारायण पुत्र औंकार,
4. रामेश्वर पुत्र कल्याण,
5. पन्ना पुत्र कल्याण,
6. धन्नालाल पुत्र कल्याण,
   समस्त जाति जाट, नि0 ग्राम रजवास, तह0 निवाई, जिला टोंक ।
7. तहसीलदार, निवाई, जिला टोंक ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक दिनांक 3.7.2015 अंतर्गत अपील संख्या 12-ए/2015 .

उपस्थितः-

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3.
3. रेस्पो0 संख्या 4 से 6 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 23.7.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 3.7.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 ने नामांतकरण संख्या 1465 दिनांक 18.3.1995 तहसीलदार, निवाई के विरूद्ध अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक के न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी, टोंक ने रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 की अपील निर्णय दिनांक 18.9.2000 द्वारा स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 1465 दिनांक 18.3.1995 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार, निवाई को बाद जांच नामांतकरण भरे जाने के आदेश पारित किये जाकर प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई जो स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः सुने जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी, निवाई को प्रतिप्रेषित किया गया । प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 3.7.2015 द्वारा नामांतकरण संख्या 1465 दिनांक 18.3.1995 को निरस्त कर औंकार पुत्र बाला जाट की संपूर्ण भूमि उसके चारों पुत्रों के नाम पर किये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा लोक अदालत की मंशा के विपरीत अपीलांटस की सहमति के बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने राजस्व लोक अदालत शिविर में उपस्थित होने बाबत् अपीलांटस को कोई नोटिस नहीं दिया एवं ना ही अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व लोक अदालत शिविर में हुए राजीनामा पर कहीं अपीलांटस के हस्ताक्षर है ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। राजस्व लोक अदालत शिविर के प्रावधानों के अनुसार राजस्व लोक अदालत में केवल

उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता था जिसमें प्रकरण के सभी पक्षकारों की पूर्ण सहमति एवं रजामंदी हो अन्यथा सभी पक्षकारों की सहमति नहीं होने पर प्रकरण पुनः न्यायालय में नियत कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करना चाहिये था । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 में रेस्पो0 ने प्रकरण को नोटप्रेस कर लिया था तथा बाद में रेस्पो0 द्वारा भारी मियाद बाहर बाजदायरी प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19 जा0दी0 का प्रस्तुत किया जिसे अधी0न्याया0 ने गैर कानूनी रूप से स्वीकार कर प्रकरण को लोक अदालत में निर्णित किया है जो विधिविरूद्ध है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि नामांतकरण की कार्यवाही एक फिस्कल कार्यवाही है तथा उत्तराधिकार जैसा जटिल प्रश्न नामांतकरण की कार्यवाही में तय नहीं किया जा सकता है । उत्तराधिकार का बिन्दु नियमित राजस्व वाद में ही साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर ही तय किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त सभी तथ्यों को नजअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 3.7.2015 अपास्त किया जावे । xx

1- विद्वान वकील अपीलांट्स ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट्स की पीठ पीछे एकतरफा में आक्षेपित आदेश दिनांक 3.72015 को पारित किया है जिसकी प्रार्थीगण को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी । निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर आकर प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक कब्जे में दखलादांजी करने तथा यह कहने पर कि उपखण्ड अधिकारी, निवाई द्वारा रेस्पो0 के पक्ष में निर्णय पारित किया गया है जिससे रेस्पो0 का भी विवादित आराजियात में हक व हिस्सा बताये जाने पर हुई । तत्पश्चात् अपीलांट्स ने अपने अधिवक्ता से संपर्क कर दिनांक 22.3.2016 को निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 5.4.2016 को निर्णय की प्रति तथा दिनांक 4.7.2016 को नामांतकरण संख्या 1465 की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

2- विद्वान वकील रेस्पोडेट्स संख्या 1 से 3 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । वादग्रस्त आराजियात रेस्पो0 के पिता औंकार जाट की पैतृक भूमियां थी। औंकार की मृत्यु के समय रेस्पो0 संख्या 1 से 3 नाबालिग थे इसलिये नामांतकरण रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के बड़े भाई कल्याण के नाम खोल दिया गया जबकि विवादित आराजियात में रेस्पो0 का भी हक व अधिकार था । अपीलांट्स ने अधी0न्याया0 में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जिसमें औंकार पुत्र बाला जाट की संपूर्ण आराजियात उसके चारों पुत्रों के नाम किये जाने का निवेदन किया है। अपीलांट्स अधी0न्याया0 में उपस्थित थे तथा उन्हें अधी0न्याया0 के निर्णय की प्रारंभ से जानकारी थी इसके बावजूद अपील मियाद बाहर पेश

की है जो मियाद के बिन्दु पर ही अपास्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने उभयपक्ष को सुनकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट्स अपास्त की जावे ।

3- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट्स ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । मियाद के बिन्दु से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये हम न्यायहित में अपीलांट्स को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

4- प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया । अपीलांट्स का मुख्य कथन रहा है कि विवादित आराजियात अपीलांट्स के पिता कल्याण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिसकी मृत्यु उपरांत जरिये विरासत नामांतकरण संख्या 1465 दिनांक 18.3.1995 के विवादित आराजियात अपीलांट्स के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई थी। उक्त नामांतकरण के विरूद्ध रेस्पो0संख्या 1 से 3 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत अपील में अधी0न्याया0 ने अपीलांट्स को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा अपीलांट्स द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत नहीं किये जाने के बावजूद राजीनामे के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर नामांतकरण संख्या 1465 को अपास्त करने के आदेश पारित किये है जो विधि विरूद्ध है। इसके विपरीत रेस्पो0का कथन है कि विवादित आराजियात के मूल खातेदार औंकार पुत्र बाला जाट थे जिनके चार पुत्र क्रमशः कल्याण, किशनलाल, जगन्नाथ एवं लक्ष्मीनारायण है । औंकार की मृत्यु के समय किशनलाल, जगन्नाथ एवं लक्ष्मीनारायण नाबालिग होने से उनके बड़े भाई कल्याण के अकेले के नाम विवादित आराजियात का नामांतकरण तस्दीक किया तथा कल्याण की मृत्यु उपरांत विवादित आराजियात जरिये नामांतकरण संख्या 1465 दिनांक 18.3.1995 के अपीलांट्स एवं रेस्पो0 संख्या 4 से 6 के नाम दर्ज किया गया जो विधिविरूद्ध होने तथा अपीलांट्स द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किये जाने से अधी0न्याया0उपखण्ड अधिकारी, निवाई ने नामांतकरण संख्या 1465 को अपास्त कर राजीनामा अनुसार नामांतकरण भरे जाने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष रामेश्वरलाल ने नामांतकरण संख्या 1465 दिनांक 18.3.1995 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जिसे अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, टोंक ने आदेश दिनांक 18.1.2000 को स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार, निवाई को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की कि सजरा अनुसार पैतृक सम्पति का नामांतकरण खोले । उपखण्ड अधिकारी, टोंक के

उक्त आदेश के विरूद्ध रामेश्वरलाल एवं अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 109/2000 पेश की गई जो निर्णय दिनांक 9.8. 2001 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, टोंक का निर्णय दिनांक 18.9.2000 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया गया । प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत उपखण्ड अधिकारी, टोंक के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन रहते प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, निवाई को मुन्तकिल किया गया। उपखण्ड अधिकारी, निवाई के न्यायालय में प्रकरण के विचाराधीन रहते दिनांक 14.1.2005 को प्रकरण नोट प्रेस में खारिज किया गया तत्पश्चात् किशनलाल द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष बाजदायरी प्रार्थना पत्र अंतर्गत पेश किया गया जिसे अधी0न्याया0 ने स्वीकार कर निर्णय दिनांक 3.7.2015 द्वारा किशनलाल की अपील स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 1465 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, निवाई को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि औंकार पुत्र बाला जाट के वारिसान का नामांतकरण राजीनामा अनुसार भरा जावे जबकि इसके विपरीत अपीलांट्स का कथन है कि अपीलांट्स अधी0न्याया0 में उपस्थित नहीं थे तथा न ही प्रकरण को लोक अदालत शिविर में रखे जाने की जानकारी अपीलांट्स को थी । यहां यह उल्लेखनीय है कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण को एक बार नोट प्रेस किये जाने के उपरांत बाजदायरी प्रार्थना पत्र पर किसी तरह का आदेश नहीं दिया जा सकता बल्कि ऐसे आवेदन पत्र पत्रावली पर लेने ही नहीं चाहिये थे परन्तु तत्समय परीक्षण न्यायालय द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही नहीं कर विधिसम्मत् कार्यवाही नहीं की है । अतः उक्तानुसार की गई कार्यवाही विधिसम्मत् नहीं मानी जा सकती है । अपीलांट्स का यह भी कथन है कि अधी0न्याया0 द्वारा जिस राजीनामे के आधार पर प्रकरण निर्णित किया गया है वह राजीनामा अपीलांट्स द्वारा नहीं किया गया है एवं उक्त राजीनामे पर अपीलांट्स के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं है । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । यद्यपि अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 3.7.2015 में अपीलांट्स एवं रेस्पो0 को लोक अदालत कैम्प रजवास में उपस्थित होना तथा राजीनामा पेश करना अंकित किया है किन्तु प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने के नोटिस अपीलांट्स को पेश किये जाने के संबंध में कोई नोटिस पत्रावली पर नहीं है । अधी0न्याया0 द्वारा जिस राजीनामे के आधार पर प्रकरण को निर्णित किया गया है उस राजीनामे से भी अपीलांट द्वारा इंकार किया गया है । अपीलांट्स के उक्त कथन व अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा संदेहास्पद प्रतीत होने से उक्त राजीनामे के आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । हम राजीनामे की वैधता के संबंध में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना न्यायोचित समझते है ।

5- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 3.7.2015 अपास्त योग्य होकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 38/2016 (2016/00027) बउनवानी कैलाशी बनाम किशन को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई जिला टोंक द्वारा अपील संख्या 12–ए/2015 बउनवान किशनलाल बनाम रामेश्वर वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 3.7.2015 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, निवाई को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि राजीनामे के संबंध में परीक्षण कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 23.7.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर